Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 6 : Authorisation of officers of State tax or Union territory tax as proper officer in certain circumstances

- (1) Without prejudice to the provisions of this Act, the officers appointed under the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act are authorised to be the proper officers for the purposes of this Act, subject to such conditions as the Government shall, on the recommendations of the Council, by notification, specify.
- (2) Subject to the conditions specified in the notification issued under subsection (1),—
 - (a) where any proper officer issues an order under this Act, he shall also issue an order under the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act, as authorised by the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act, as the case may be, under intimation to the jurisdictional officer of State tax or Union territory tax;
 - **(b)** where a proper officer under the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act has initiated any proceedings on a subject matter, no proceedings shall be initiated by the proper officer under this Act on the same subject matter.
- (3) Any proceedings for rectification, appeal and revision, wherever applicable, of any order passed by an officer appointed under this Act shall not lie before an officer appointed under the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act.

www.cggst.com

धारा 6 : कतिपय परिस्थितियों में राज्य कर अधिकारियों या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों को उचित अधिकारी के रूप में पाधिकार देना

- (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए-
 - (क) जहां कोई उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश जारी करता है, वहां वह राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारिता अधिकारी को प्रज्ञापना के अधीन, यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम द्वारा यथा प्राधिकृत आदेश भी जारी करेगा;
 - (ख) जहां राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी उचित अधिकारी ने किसी विषय—वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ की हैं, वहां उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय—वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियों आरम्भ नहीं की जाएगी।
- (3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां—कहीं लागू हों, के लिए कोई कार्यवाहियां राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं लाई जाएंगी।